न्यायालय तहसीलदार भरतपुर जिला भरतपुर

प्रकरण सं0 19 तारीख रजू 27/1/17 किस्म मुकदमा 91 LRAct. निर्णय दिनांक

सरकार बनाम श्री झम्मन
पुत्रश्री फगुनी
जाति जाटव निवासी नगला-वरेला
तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 17/2/17

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27/1/17 को रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ग्राम नगला वरेला के आराजी खसरा नम्बर 2719 रकवा 0.07 है0 किस्म बारानी पर सम्वत 2073 फसल .... में श्री झम्मन पुत्र श्री फगुनी राम जाति जाटव निवासी ग्राम नगला वरेला तहसील भरतपुर, के द्वारा गेंहू कब्जा काश्त् कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात् अतिक्रमी धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी उपस्थित। अतिक्रमी के द्वारा नोटिस का जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील उपस्थित नही आया। अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित आराजी पर अपना अतिक्रमण कब्जा होने से इन्कार किया गया। अतिक्रमी के द्वारा जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया है जिससे अतिक्रमण नही किया जाना माना जा सकें। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से अतिक्रमी के द्वारा अतिक्रमण/कब्जा किया जाना पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किया जाना राजहित में है।

अतः आदेश है दिया जाता है कि अतिक्रमी को विवादित आराजी खसरा न0 2719 रकवा 0.07 है0 ग्राम नगला वरेला तहसील भरतपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अतिक्रमी के विरूद्ध लगान 0.63 का 50 गुणा शास्ती राशि 32 रू. से दण्डित किया जाता है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित आराजी पर काश्त की गई फसल को कब्जे राज लिया जाकर नीलामी हेतु भू.अभि. निरीक्षक को लिखा जावे। एवं शास्ती की राशि की मॉग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को मॉग कायम हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को शास्ती राशि की वसूली हेतु लिखा जावे। भू.अभि. निरीक्षक खडी फसल की नीलामी कर नीलामी कार्यवाही कर अभिलम्ब इस न्यायालय में स्वीकृती हेतु पेश करे।

पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम हो। आज दिनांक 17/2/17 को खुले न्यायालय में फैसला लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार
भरतपुर